कृषक लाभार्थ योजनाएँ

आधुनिक खेती की परिकल्पना
''खेती को लाभ का धंधा बनायें''

कृषि विज्ञान केन्द शहडोल (म.प्र.)

भाकृअनुप ICAR

विस्तार संचालनालय
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

आंचलिक परियोजना निदेशालय, जोन 7
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जबलपुर (म.प्र.)

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
कृषि नगर, अधारताल, जबलपुर 482 004 (म.प्र.)
Krishinagar, Adhartal, Jabalpur - 482 004 (M.P.)
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya

प्रो. विजय सिंह तोमर
कुलपति

Ph.:0761-2681706 (O); Fax: 2681389
E-mail: vst.vcjnkvv@gmail.com

संदेश

कृषक भाईयों,

शासन द्वारा कृषकों के हित में कई योजनाऐं चलाई जा रही हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ऐसा प्रयास कर रहा है कि इन शासन की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ कृषकों को मिल सके। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल द्वारा प्रकाशित ''कृषक लाभार्थ योजनाऐं'' नामक पुस्तिका उन्नत कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार में सहायक होगी। जिसमें अनेक विभागों में चल रही योजनाओं की जानकारी का समावेश किया गया है। पुस्तिका के प्रकाशन के लिये संकलनकर्ता बधाई के पात्र हैं ।

शुभकामनाओं सहित ।

(विजय सिंह तोमर)

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
कृषि नगर, अधारताल, जबलपुर 482 004 (म.प्र.)
Krishinagar, Adhartal, Jabalpur - 482 004 (M.P.)
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya

डॉ. पी.के. मिश्रा
संचालक विस्तार सेवाएं
Dr. P.K. Mishra
Director Extension Services

Ph.: 0761-2681710, 4032119 (O), 2460309(R)
PBX: 0761-2681773, Extn.: 304
Fax: 0761 - 2681710
E-mail : desjnkvv@rediffmail.com
pkmishra_jnkvv@rediffmail.com

संदेश

प्रिय कृषक बंधुओ,

शासन द्वारा कृषकों को कृषि के क्षेत्र में अनेकों सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही है। किन्तु कृषकों को योजना विशेष की जानकारी न होने के कारण वे इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। कृषक इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें इस हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल द्वारा ''कृषक लाभार्थ योजनाऐं'' नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

इस पुस्तिका के माध्यम से विभागों में चल रही योजनाओं की जानकारी समाविष्ट की गई है। आशा है कि यह पुस्तिका कृषकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी ।

शुभकामनाओं सहित !

(पी.के. मिश्रा)

दृष्टांत

मध्यप्रदेश में कृषक लाभार्थ योजनाएं, 2013

मार्गदर्शन

डॉ. विजय सिंह तोमर
कुलपति
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालयं, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. के.डी. कोकाटे
उप महानिदेशक (कृषि विस्तार)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

प्रेरणा स्त्रोत

डॉ. पी.के. मिश्रा
संचालक विस्तार सेवाएं
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. अनुपम मिश्रा
जोनल परियोजना निदेशक
जोनल परियोजना निदेशालय, जोन 7
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जबलपुर (म.प्र.)

संकलन एवं सम्पादन

श्रीमती अल्पना शर्मा, वैज्ञानिक
श्री ऋषिराज नेगी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर
कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल (म.प्र.)

संपादकीय सलाह

डॉ. मृगेन्द्र सिंह
कार्यक्रम समन्वयक
कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल (म.प्र.)

प्रकाशक

कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल (म.प्र.)

प्रकाशन वर्ष – 2013

कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल (म.प्र.)
कार्यालय ई–मेल : kvkshahdol@rediffmail.com
वेवसाइट : www.kvkshahdolzpd7.org.in
कार्यालय फोन नं. : 07652–241790

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
• महत्वपूर्ण दूरभाष क्रमांक	*i*
• कृषि विभाग द्वारा कृषकों के हित में संचालित योजनाऐं	9
• पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाऐं	45
• कुक्कुट विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं	51
• कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सुविधायें	53
• मत्स्योद्योग विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनायें	71
• उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों के लिये संचालित योजनायें	76
• उपयोगी दूरभाष क्रमांक	93

शहडोल जिला– एक संक्षिप्त परिचय

जिला शहडोल कुल जनसंख्या :	
ग्रामीण क्षेत्र	845633
भाहरी क्षेत्र	219356
जिले की कुल वर्षा	1174 मिमी
मिट्टी का प्रकार	हल्की
रेतीली मिट्टी	
गांव की संख्या	886
विकास खण्डों की संख्या	05
तहसीलों की संख्या	06
कुल भौगोलिक क्षे.	561006 हे.
कृषि अन्तर्गत क्षेत्रफल	206920 हे.
खरीफ फसल क्षेत्रफल	171553 हे.
रबी फसल क्षेत्रफल	35367 हे.
द्विफसली क्षेत्रफल	27443 हे.
एकफसली क्षेत्रफल	136186 हे.
फसल सघनता	114.6%
सिंचित क्षेत्रफल	12.96%
वन के अन्तर्गत क्षेत्रफल	227698 हे.
फलों का क्षेत्रफल	135 हे.
सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	1603 हे.
मसाला एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	157 हे.

कृषि विज्ञान केन्द्र, शहडोल (म.प्र.) 484001
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
कार्यालय ई.मेल : kvkshahdol@rediffmail.com
वेबसाईट : www.kvkshahdolzpd7.com फोन नं. 07652–241790

क्र.	नाम	मोबाइल	ई–मेल	पदनाम
1	डॉ. मृगेन्द्र सिंह	9425183232 9752277500	mrigendra_1968@rediffmail.com	कार्यक्रम समन्वयक
2	श्री सीताराम धुवारे	9424752492	srdhuware123@rediffmail.com	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि विस्तार)
3	श्रीमती अल्पना शर्मा	9301111646	alpanasanu@rediffmail.com	विषय वस्तु विशेषज्ञ (गृह विज्ञान)
4	श्री नितिन कुमार सिंघई	9425362909	nitinsinghaikvk@gmail.com	प्रशिक्षण सहायक टी.6 (सस्य विज्ञान)

5	श्री डी.के. श्रीवास्तव	8462811277	kvkshahdol@rediffmail.com	तकनीकी सहायक टी.5 (कृषि विस्तार)
6	श्री ऋषिराज नेगी	9424335040	rishirajnegi@gmail.com	कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर)
7	श्रीमती आशा श्रीवास्तव	9977170453	kvkshahdol@rediffmail.com	सहा.ग्रेड–3
8	श्री बद्री प्रसाद यादव	9424931288	kvkshahdol@rediffmail.com	वाहन चालक सह मैकेनिक
9	श्री सुखबीर सिंह रील	989338582	kvkshahdol@rediffmail.com	वाहन चालक सह मैकेनिक
10	परमेश	9479623073	kvkshahdol@rediffmail.com	भृत्य

शहडोल जिले के अन्य विभागों के दूरभाष

क्र.	नाम	टेलीफोन नम्बर			ई–मेल
		ऑफिस	रहवास	मोबाइल	
1	संभाग आयुक्त	07652. 245555	07652. 242000	9425085 107	commmshahdol@mp.gov.in
2	जिला दण्डाधिकारी	07652. 241700	07652. 241300	9425141 835	dmshahdol@mp.gov.nic.in
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	07652. 241467	07652. 241477	9993230 200	ceozpshd@mp.nic.in
4	संयुक्त संचालक कृषि	07652. 240005	07652. 248871	9425087 499	zmagrishd@mp.gov.in
5	उप संचालक कृषि	07652. 240338	07652. 248871		ddagrishd@mp.gov.in
6	परियोजना संचालक आत्मा	07652. 240142	..	9425147 209	--
7	सहायक संचालक कृषि	..	..	9424341 254	--

8	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	..	..	7354079 519	--
9	उपसंचालक (पशु पालन)	07652. 240348	07652. 248641	94254 27497	veterinshdmp@mp.nic.in
10	सहायक संचालक (उद्यानिकी)	07652. 240887	07652. 241956	..	hortishd_mp@mp.nic.in
11	सहायक संचालक (मछली पालन)	07652. 240352	07652. 245448	94243 55406	fishshd@mp.nic.in
12	सहायक संचालक (रेशम पालन)	07652. 248911	..	..	serishd@mp.nic.in
13	सहायक संचालक (कृषि यंत्रीकरण)	..	..	94247 00450	--
14	प्रबंधक (म.प्र.एग्रो)	07652. 240327	..	91796 37713	--
15	प्रबंधक विपणन	07652. 245067	..	89896 50077	--
16	बीज निगम अधिकारी	07652. 231945	..	98934 22418	--
17	जनरल मैनेजर (सहकारिता बैंक)	07652. 244168	..	94068 72170	--

18	प्रबंधक (जिला लीड बैंक)	07652. 245000	..	..	--
19	जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग)	07652. 241538	07652. 242224	..	wcdshd@mp.nic.in
20	सहजीवन एन.जी.ओ	..	..	94251 80901	--
21	म.प्र. राज्य युवा विकास परिषद, एन.जी.ओ.	..	..	94247 76603	--
22	सत्गुरू मिशन, एन.जी.ओ.	..	..	99264 48253	--
23	ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, कंचनपुर	..	..	97532 59129	--
24	नव्या फाउण्डेशन, शहडोल, एन.जी.ओ.	..	..	94251 81786	--
25	गायत्री महिला बालविकास शिक्षा प्रसार समिति	..	..	99263 34868	--

26	आदर्श नारी मण्डल, एन.जी.ओ.	..	..	94253 44903	--
27	पथ प्रगति समाज कल्याण समिति, एन. जी.ओ.	..	..	99263 24917	--
28	केयर सर्व सोसायटी, एन.जी.ओ.	..	..	9425182 517	--
29	कृषि उपजमंडी	07652. 240349	..	..	--
30	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सोहागपुर ब्लॉक	07652. 248340	9425670 613	99938 83812	boagrisohshd @mp.gov.in
31	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जयसिंहनगर ब्लॉक	07651. 221246	..	93006 22743	boagrijaishd @mp.gov.in
32	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्यौहारी ब्लॉक	07650. 262135	..	80854 35955	boagribeoshd @mp.gov.in

33	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गोहपारू ब्लॉक	07656. 266266	..	9407207 748	boagrigohshd @mp.gov.in
34	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बुढ़ार ब्लॉक	07652. 250304	..	9425890 823	boagriburshd @mp.gov.in

शहडोल जिले के अन्य महत्वपूर्ण दूरभाष

क्र.	पदनाम	टेलीफोन नम्बर			ई–मेल
		ऑफिस	रहवास	मोबाइल	
1	पुलिस अधीक्षक	07652. 245100	07652. 245101	94845 37574	--
2	पुलिस पूंछतांछ	100	..	..	--
3	जिला न्यायाधीश	07652. 245436	07652. 240900	..	dcourtshd@mp .nic.in
4	सी.ई.ओ. जिला पंचायत	07652. 240510	..	..	ceozpshd@mp .nic.in
5	मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	07652. 241262	07652. 240099	94251 80581	cmhoshd@mp. nic.in

6	एम्बूलेंस	102	..	..	--
7	एम.पी.ई.बी. अधिकारी	07652. 240203	..	..	--
8	जिला शिक्षा अधिकारी	..	..	..	deoshd_mp@ mp.nic.in
9	जिला रोजगार अधिकारी	..	..	..	--
10	जिला सांख्यिकी अधिकारी	..	..	..	dsoshd@mp.ni c.in
11	दूरभाष बुकिंग आफिस	1580, 1586	..	..	--
12	आकाशवाणी केन्द्र	07652. 245063	07652. 245286	..	--
13	मुख्य डाक घर आफिस	07652. 245259	07652. 245169	..	--
14	रेलवे पुछताछ केन्द्र	139, 131	..	..	--
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाहपुर	07652. 242334	..	..	--

संचालनालय विस्तार सेवायें

संचालनालय विस्तार की प्रक्षेत्र फसल उत्पादन, फसल प्रणाली, फसल सुधार, पौध संरक्षण, कृशि वानिकी, पड़ती भूमि प्रबंधन, जल संरक्षण, औशधीय एवं सगंध पौध, मुर्गीपालन प्रबंधन, कृशि अभियांत्रिकी, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, ज.ने.कृ.वि.वि. अनुसंधान कार्यक्रमों के बीच तथा कृशक समाज के मध्य प्रचार, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी हस्तानांतरण प्रचार–प्रसार में मुख्य भूमिका रही है ।

संचालनालय विस्तार की प्रमुख गतिविधियां –

- कार्यक्रम की रूप रेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन
- तकनीकी प्रि क्षण
- विस्तार कार्यकर्ताओं हेतु प्रि क्षण कार्यक्रम
- इंटरफेस किसान मेला एवं कृशि प्रद र्नी
- डायग्नोस्टिक विजिट
- समन्वयन एवं लिंकेज
- प्रका न एवं जनसूचना, किसान मोबाइल संदे ा
- कृशि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र एवं अन्य सामग्री, किसान काल सेन्टर
- जवाहर बीज एवं जवाहर कल्चर का विक्रय

अन्य गतिविधियां –

- किसान कल्याण तथा कृशि विकास विभाग, म.प्र. भाासन भोपाल द्वारा विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु रणनीति पर दिनांक 23 मई 2011 को सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें संचालक विस्तार सेवायें द्वारा सक्रिय भागीदारी की गई ।
- ''खाद्य सुरक्षा एवं कृशि उत्पादन बढ़ाने के प्रौद्योगिकी हस्तानांतरण में सामयिक कीटना ाकों का उपयोग'' विशय पर राश्ट्रीय संगोश्ठी । Agritech Division Dhanuka Ltd. एवं कृशि विस्तार डिविजन भा.कृ.अ.परिशद, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से 1 जून 2011 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें संचालक विस्तार सेवायें द्वारा सक्रिय भागीदारी की गई ।
- भा.कृ.अ.परिशद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2011 को राज्य कृशि विश्वविद्यालयों की एक विशेश बैठक महानिर्देशक, भा.कृ.अ.परिशद, नई दिल्ली की अध्यक्षता में की गई, जिसमें संचालक विस्तार सेवायें द्वारा सक्रिय भागीदारी की गई ।
- राज्य स्तरीय गन्ना इंटरफेस 2011 का आयोजन गन्ना मिल संघ, किसान कल्याण तथा कृशि विकास विभाग एवं ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से 30 सितम्बर

2011 को आयोजित की गई, जिसमें संचालक विस्तार सेवायें द्वारा राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु रणनीति पर व्याख्यान एवं सुझाव दिया गया ।

मानव संसाधन विकास –

- कृशि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को संचालनालय विस्तार सेवायें में 12 कार्यक्रम आयोजित कर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया ।
- संचालनालय विस्तार सेवायें द्वारा कृशि उत्पादन की नई तकनीकियों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिसमें महिला मंच भोपाल के माध्यम से पन्ना, टीकमगढ़ एवं रायसेन जिले के 27 महिला कृशकों को पर्यावरण जागृति एवं ग्रामीण शिक्षा विकास संस्था बालाघाट के माध्यम से 20 कृशकों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- इफको के माध्यम से 40 कृशकों को विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रों का भ्रमण / प्रशिक्षण कराया गया ।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा एग्रोपीडिया पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालनालय विस्तार सेवायें, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर में आयोजित किया गया।

कृषि विज्ञान केन्द्र –

जवाहरलाल नेहरू कृशि विश्वविद्यालय, जबलपुर के क्षेत्राधिकार वाले 25 जिलों में से 23 जिलों में कृशि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं, जिसमें से 20 केन्द्र छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, टीकमगढ़, बालाघाट, बैतूल, पन्ना, डिण्डोरी, रीवा, सीधी, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, हरदा, कटनी, दमोह, छतरपुर, मण्डला, उमरिया एवं नरसिंहपुर जिले में ज.ने.कृ.वि.वि. के तथा 3 कृशि विज्ञान केन्द्र रायसेन, सतना एवं विदिशा जिले में गैर शासकीय संस्था के नियंत्रण में कार्यरत हैं । दो जिले अनूपपुर, सिंगरौली में कृ.वि.के. की स्थापना होना शेश है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य –

- कृशि विज्ञान केन्द्र का उद्देश्य प्रौद्योगिकी / उत्पाद का मूल्यांकन, परिश्करण एवं प्रदर्शन करना है ।
- इस हेतु कृशकों के खेतों पर प्रयोग, कृशि प्रसार कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना कृशकों तथा ग्रामीण युवकों को कृशि से संबंधित व्यवसाय के लिए प्रशिक्षणें का आयोजन करना है । इस के लिए **''कर के सीखो''** कार्य प्रणाली को अधिक जोर देना तथा विभिन्न फसलों पर अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं ।

कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाऐं—केन्द्र क्षेत्रीय योजनाऐं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

उद्दे□य — राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र संचालित बहूउद्दे यी योजना है जिसमें कृशि एवं संबंध विभाग संस्थाऐं जैसे प ुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, बीज प्रमाणीकरण संस्था के अलावा निजी संस्थाओं का सहयोग है ।

1. भूमिगत जल संवर्धन और नमी संवर्धन के लिए 5.00 लाख रुपये तक लागत के परकोले ान टैंक बनाये जाते हैं।
2. **लघुत्तम तालाब** — भाासकीय भूमि पर 25.00 लाख रुपये के सिंचाई तालाबों का निर्माण
3 **नलकूप खनन** — सामान्य वर्ग के लघु सीमांत किसानों को नलकूप खनन करवाने पर 75 प्रति ात या अधिकतम रुपये 15000 का अनुदान, सामान्य वर्ग के बड़े किसानों को 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 15000 अनुदान ।
4. **सफल नलकूप** पर पम्प स्थापना हेतु लघु सीमांत कृशकों को 75 प्रति ात या बड़े किसानों को 50 प्रति ात अनुदान अधिकतम 9000 रुपये

5. **डीजल/विद्युत पम्प** — 50 प्रति ात अधिकतम 10000 अनुदान
6. **प्रमाणित बीज उत्पादन (खरीफ)** — सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द पर रुपये 1000, धान पर रुपये 500 प्रति क्वि. अनुदान
7. **प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम (रबी)** — चना, मसूर, अलसी, सरसों पर रुपये 1000, गेहूं पर रुपये 500 प्रति क्विं. अनुदान
8. **प्रमाणित बीज वितरण (खरीफ)** — सोयाबीन, मक्का, मूंग, अरहर, उड़द बीज वितरण पर लागत का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 1200, धान पर 50 प्रति ात या रुपये 500/—
9. **प्रमाणित बीज वितरण (रबी)** — चना, मसूर, अलसी, सरसों के बीज वितरण पर लागत का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 500 प्रति क्विं.
10. **संकर बीज वितरण (खरीफ)** — मक्का, धान, ज्वार, बाजरा बीज वितरण पर लागत का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 2000/— प्रति क्विं. अनुदान
11. **बीजोपचार** — बीजोपचार जैविक ट्राइकोडर्मा/ रासायनिक निर्धारित मूल्य का 75 प्रति ात अधिकतम रुपये 100 प्रति हे.

12. **पौध संरक्षण** —
    1. जैविक कीटना ाक कीमत का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 500 प्रति हे.
    2. **एन.पी.व्ही.** — कीमत का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 250 प्रति हे.
    3. **प्रकाश प्रपंच** — कीमत का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 1500 प्रति हे.
    4. **फेरोमेनट्रेप** — कीमत का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 300 प्रति हे.
13. **पोषक तत्व प्रबंधन** — पी.एस.बी./राइजोबियम कल्चर/एजेटोबैक्टर मूल्य का 50 प्रति ात अधिकतम रुपये 100 प्रति हैक्टर
14. **प्रदर्शन** —
    1. वृहद प्रद र्न (10 हैक्टेयर) रुपये 25000 प्रति प्रद ान
    2. एस.आर.आई./संकर धान (0.4 हैक्टेयर) 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 3000 प्रति प्रद ार्न
    3. अंतवर्तीय फसल पर 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 500 प्रति प्रद ार्न
15. **जैविक खेती** — नाडेप टांका, 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 2000 प्रति टांका

16. **यंत्रीकरण** —
    1. **भाक्तिचलित उपकरण**/यंत्र पर 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 15000
    2. **बैल चलित** उपकरणों पर 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 2500
    3. **हस्तचलित उपकरण** पर 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 500 अनुदान
    4. **फार्म फील्ड स्कूल** चयनित ग्रामों में रुपये 17000 प्रति पाठ ााला

नाडेप निर्माण

क्षेत्र : सम्पूर्ण मध्यप्रदे ा
अनुदान : पक्के नाडेप निर्माण पर लागत का 50 प्रति ात या अधिकतम् रुपये 2000/— प्रति नाडेप जो भी कम हो ।
हितग्राही : अनु.ज./अनु.ज.जा., लद्यु एवं सीमांत कृशकों को देय

बलराम ताल योजना

उद्दे□य: कृशि के समग्र विकास के लिये सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना ।
क्षेत्र: सम्पूर्ण मध्यप्रदे ा

तक) रू. 10,000/– प्रति पंप सेट या लागत का 50 प्रति ात जो भी कम हो ।

7– एफ.एफ.एस. प्रतिमान पर किसान प्र□क्षण– रू. 14,000/– प्रति प्र ाक्षण (प्रति वर्श 30 किसानों के लिये 4 प्र ाक्षण सत्र)

8– नेपसेक स्प्रेयर – रू. 3000/– प्रति स्प्रेयर की दर से या लागत का 50 प्रति ात जो भी कम हो ।

9– सीडड्रिल– मल्टी क्रॉप प्लांटर– जीरो टिलेज सीडड्रिल – रू. 15,000/– प्रति की दर से या लागत का 50 प्रति ात जो भी कम हो ।

10– स्प्रिंकलर सेट– रू. 7,500/– प्रति हे. की दर से या लागत का 50 प्रति ात जो भी कम हो ।

दलहन घटक

चयनित जिले– (20 जिले) – रायसेन, विदि ाा, राजगढ़, झाबुआ, उज्जैन, देवास, गुना, ि ावपुरी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाडा, नरसिंहपुर एवं भााजापुर हैं ।

1– बीज– दलहनी फसलों के आधार एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन–रू. 1000/– प्रति क्वि.

प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता– लागत का 50

प्रति ात या रू. 1200/– प्रति. क्वि. जो भी कम हो ।

2– समेकित पोशक तत्व प्रबंधन– लागत का 50 प्रति ात या रू. 1250/– प्रति. हे. जो भी कम हो, अधि ाकतम रू. 750/– चूना एवं जिप्सम के लिये तथा अधिकतम रू. 500/– सूक्ष्म तत्वों के लिये ।

3– समेकित कीट तत्व प्रबंधन (आई.पी.एम.)– लागत का 50 प्रति ात या रू. 750/– प्रति. हे. जो भी कम हो

4– स्प्रिंकलर सेटों का वितरण– सभी श्रेणी के कृशकों को लागत का 50 प्रति ात या रू. 7500/– प्रति. हे. जो भी कम हो ।

5– फसल पद्धति पर आधारित किसान प्र□क्षण– रू. 14000/– प्रति प्र ाक्षण (प्रति वर्श तीस किसानों के लिये 4 प्र ाक्षण सत्र)

6– नेपसेक स्प्रेयर– लागत का 50 प्रति ात या रू. 3000/– प्रति. स्प्रेयर जो भी कम हो ।

7– मल्टी क्रॉप प्लांटर, सीडड्रिल, जीरो टिलेज सीडड्रिल– रू. 15000/– प्रति यंत्र की दर से या लागत का 50 प्रति ात जो भी कम हो ।

8– सीडड्रिल– रोटा वेटर– रू. 30,000/– प्रति यंत्र की दर से या लागत का 50 प्रति ात जो भी कम हो

9– डीजल पंप सेटों के लिये प्रोत्साहन–(10 हार्स पावर तक)– रू. 10,000/– प्रति पंप सेट की दर से या लागत का 50 प्रति ात जो भी कम हो ।

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)

उद्दे□य– प्रदे ा में ज्वार, धान, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, गेहूं, जौ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।

कार्यक्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदे ा । इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग में लघु और सीमांत श्रेणी के कृशक पात्र है ।

हितग्राही चयन प्रक्रिया – कृशकों का चयन ग्रामीण कृशि विस्तार अधिकारी, कृशि विकास अधिकारी और वरिश्ठ कृशि विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

अनुदान – बीज वितरण 10 वर्श के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के मोटा अनाज बीजों पर 50 प्रति ात या रूपये 500/– प्रति क्विंटल जो भी कम हो अनुदान किया जाता है।

प्र□क्षण – क. राज्य स्तरीय कार्य ााला के आयोजन के लिये अधिकतम रू. 50,000/– प्रति कार्य ााला । **ख**. विस्तार कार्य ााला के आयोजन के लिये अधिकतम रू. 10,000 प्रति

कार्य ााला । ग. कृशक प्र ाक्षण के लिये अधिकतम रूपये 17,000/– प्रति प्र ाक्षण (30 कृशकों हेतु)। (कृशक पाठ ााला द्वारा) प्रावधान है ।

रासायनिक पौध संरक्षण तथा बायो पेसटीसाइड्स 50 प्रति ात अधिकतम रू. 500 प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो।

फसल प्रद□ान – धान प्रद ान

1. **एकल फसल धान** के लिये रू. 2500/– प्रति एकड़ प्रद ान
2. **मेडागास्कर धान प्रद□ान** के लिये रू. 3000/– प्रति एकड़ प्रद ान
3. **संकर धान तकनीकी प्रद□ान** रू. 3000/– प्रति एकड़ गेहूं प्रद ान – रू. 2000/– प्रति एकड एकल फसल हेतु। मोटा अनाज– रू. 2000/– प्रति एकड एकल फसल हेतु।

दलहन विकास (ए–3 पी) योजना

उद्दे□य– किसानों को दलहनी फसलों के उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि के प्रयोग अपनानें के लिये प्रेरित करना।

बीज मिनीकिट– 0.2 हे. क्षेत्र के लिये–अरहर, मूंग, उड़द के 4 कि.ग्रा., मसूर 8 कि.ग्रा., चना 16 कि.ग्रा. प्रति हे. निः ाुल्क बीज दिया जाता है ।

कृशि यंत्रीकरण

मैक्रोमैनेजमेन्ट योजना

उद्दे□यः योजना का उद्दे य कृशकों को कृशि यंत्रीकरण हेतु प्रोत्साहित कर यांत्रिकी खेती को बढ़ावा देकर कृशि उत्पादन को बढ़ाने के साथ–साथ लागत में बचत करना है।

हितग्राही – सभी वर्ग के कृशकों को अनुदान की पात्रता है।

कृशि यंत्र/ म□ीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
ट्रेक्टर	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 45,000	ट्रैक्टर–40पी.टी.ओ. हासर्वपावर तक के
पावर टिलर	(अ) कीमत का 40% अधिकतम रुपये 45,000	पावर टिलर– 8बीएचपी तथा ज्यादा के
	(ब) कीमत का 40% अधिकतम रुपये 25,000	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये 8 बीएचपी से कम के हल्के पावर टिलर
स्वाचलित म ीनें	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 40,000	स्वचलित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर एवं अन्य स्वचलित म ीनें

कृशि यंत्र/ म□ीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
वि ोश भाक्तिचलित	(अ) कीमत का 25% अधिकतम रुपये 15,000	वि ोश भाक्तिचलित उपकरण जैसे– पोटेटो प्लांटर, पोटेटो डिगर, ग्राउण्डनट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रैक्टर चलित रीपर, क्लीनर कम ग्रेडर, ड्रायर,स्टबल भोवर, मोबाइल फ्रूट हार्वेस्टर,पावर वीडर, मिनी राईस मिल, दाल मिल, कल्टीपेकर, ओनियन हार्वेस्टर,मोटरीकृत बनाना फाइबर मेकिंग म ीन
	(ब) कीमत का 40% अधिकतम रुपये 20,000	वि ोश भाक्तिचलित उपकरण जैसे– जीरो– टिल सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल,

कृशि यंत्र/ म□ीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
		रैज्ड–वेड प्लांटर, भुगरकेन कटर–प्लांटर/रिंग पिट डिगर/पोस्ट–होल डिगर, रोटावेटर, स्ट्रा–रीपर, क्राप रीपर/बाइन्डर, हैप्पी सीडर, वेजिटेबल ट्रान्स प्लांटर/ न्यूमेट्रिक वेजिटेबल सीडर
भाक्तिचलित उपकरण (ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित)	–	पारम्परिक रूप से उपयोग किये जाने पावर चलित यंत्रों को भाामिल वाले ट्रैक्टर एवं करने का उद्दे य
	(अ) कीमत का 25% अधिकतम रुपये 10,000	आव यक ट्रैक्टर चलित यंत्र जैसे– एम.बी./डिस्क प्लाऊ, हैरो, कल्टी वेटर, सीड– कम–

कृशि यंत्र/ म□ीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
		फर्टिलाईर ड्रिल
	(ब) कीमत का 25% अधिकतम रुपये 10,000	पावर टिलर चलित यंत्रों के सेट के लिये उदाहरण हैरो, कल्टीवेटर एवं सीडड्रिल
पावर थ्रै ार (सभी प्रकार के)	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 12,000	–
प ुभाक्ति चलित टूल केरियर	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 6,000	प ुभाक्ति चलित वि ोश यंत्र जैसे– अ.मल्टी टूल बाल /केरियर /ट्रॉपी कल्चर (कम से कम 4 अटैचमेन्ट सहित) ब. प्री–जर्मिनेटेड पैडी सीडर
प ुभाक्ति चलित यंत्र	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 2500	–
हस्त चलित यंत्र /टूल्स	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 2000	–

नीम रू. 1500, रू. 428 प्रति हे.,

चना– ट्राइकोडरमा, ट्रेप ल्योर, नीम रू. 1500 एन पी. व्ही. बी. टी रू. 747.50 प्रति हे.

अरहर– ट्राइकोडरमा, नीम रू. 1500, ट्रेप ल्योर, एन.पी.व्ही. बीटी अधिकतम रू. 1140 प्रति हे.

सूरजमुखी– ट्राइकोडरमा, क्राइसोपर्ला, एन.पी.व्ही. एच.ए. बी.टी.रू. 1230 प्रति.हे.

मक्का– ट्राइकोडरमा, क्राइसोपर्ला, बी.टी.रू. 1480 प्रति.हे.

पोशण प्रबंधन– कीमत का 50 प्रति ात या रू. 500 जो भी कम हो ।

ब– जिप्सम/पायराइट/डोलोमाइट वितरण– कीमत का 50 प्रति ात या रू. 750 प्रति हे. जो भी कम हो।

स– सूक्ष्म तत्वों का वितरण– कीमत का 50 प्रति ात या रू. 500 प्रति हे. जो भी कम हो।

सिंचाई

अ– सिचांई उपकरण (1) स्प्रिकंलर सेट 50 प्रति ात अधिकतम रू. 7500/– प्रति सेट जो भी कम हो । (2) पाइप लाइन पर 50 प्रति ात अधिकतम रू. 15000/– प्रति सेट (3) रेनगन 50 प्रति ात अधिकतम रू. 6000/– प्रति सेट ।

प्रि ाक्षण– 1– कृशकों के समूह को दो दिवसीय प्रि ाक्षण रू. 15,000/– प्रति प्रि ाक्षण ।

2– अधिकारियों का प्रि ाक्षण 30 अधिकारियों दो दिवसीय के लिये रू. 16000/– प्रति प्रि ाक्षण

ब. टापअप अनुदान सभी वर्ग के हितग्राही । स्प्रिकंलर, रेन गन– पर 30 प्रति ात अधिकतम 4500 प्रति सेट रू. 6000 या कीमत का 50 प्रति ात जो भी कम हो इसके अलावा राज्य ाासन की ओर से 30 प्रति ात अधिकतम रू. 3600 प्रति सेट जो भी कम हो ।

सघन कपास विकास कार्यक्रम

उद्दे य– कपास का उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता में वृद्धि करना । केन्द्रीय प्रवर्तित योजना जो 75:25 केन्द्रां ा एवं राज्यां ा से संचालित है ।

कार्यक्षेत्र – प्रदे ा के 14 कपास उत्पादक जिले ।

हितग्राही – सभी वर्ग के कृशक, अ.ज./अ.ज.जा./लघु सीमांत/महिला कृशको को प्राथमिकता ।

कार्यक्रम के घटक प्रजनक बीज प्रदाय– 15 वर्श के अंदर अधिसूचित किस्मों, संकर बीज की कीमत का 100 प्रति ात आर्थिक सहायता, बीजोत्पादक संस्था को देय ।

आधार बीज उत्पादन– 15 वर्श के अंदर अधिसूचित किस्मों,/संकर बीज की कीमत का 50 प्रति ात अथवा रूपये 50 प्रति किलो सहायता, बीजोत्पादक संस्था को देय ।

प्रमाणित बीज उत्पादन– 15 वर्श के अंदर अधिसूचित किस्मों, संकर बीज की कीमत का 25 प्रति ात अथवा रूपये 15 प्रति किलो सहायता, बीजोत्पादक संस्था को देय ।

प्रमाणित बीज वितरण– 15 वर्श के अंदर अधिसूचित हाईब्रीड एवं उन्नत ील किस्मों के बीजों की कीमत का 25 प्रति ात तथा ई.एल.एस. कपास की किस्मों/संकर पर कीमता का 50 प्रति ात आर्थिक सहायता देय ।

कृशि यंत्रो पर अग्र पंक्ति प्रद िन (विभाग द्वारा)– चयनित कृशि यंत्रों के अग्र पंक्ति प्रद िन हेतु उपयोग होने वाले कृशि यंत्रों के क्रय के लिये निर्धारित रा ि रू. 1,00,000/– तक जिसमें प्रद िन हेतु रा ि रू. 5,000/– भी सम्मिलित हैं ।

प्रोद्योगिकी पर अग्र पंक्ति प्रद िन (संस्थागत) कपास उत्पादन की प्रोद्योगिकी के अग्र पंक्ति प्रद िन हेतु रू. 2000 प्रति एकड़/प्रद िन आर्थिक सहायता देय है।

सिंचाई उपकरण–

1– स्प्रिंकलर सेट– कीमत का 50 प्रति ात अधिकतम् रू. 7500/–

2– ड्रिप सिंचाई– इकाई लागत का 50 प्रति ात अधिकतम् रू. 25000 प्रति हे. तथा जलग्रहण क्षेत्रों में कीमत का 60 प्रति ात अधिकतम् रू. 30000 प्रति हे. ।

टॉपअप अनुदान – 30 प्रति ात अधिकतम् रू. 15,000 प्रति हे. राज्य ाासन की ओर से ।

कीट व्याधि सर्वेक्षण– चयनित कपास उत्पादक जिलों के लिये रू. 1,00,000 प्रति जिला/प्रति वर्श सहायता ।

कृशक खेत पाठ ााला– 30 कृशकों की कृशक खेत पाठा ााला में रू. 17,000 प्रति पाठ ााला की दर से आर्थिक सहायता ।

बीजोपचार– रासायनिक बीजोपचार के लिये बीजोपचार सामग्री की कीमत का 50 प्रति ात अथवा रू. 40 प्रति किलो सहायता ।

ड्रिप फर्टिगे ान सिस्टम–क ृाकों को सिंचाई लागत का 25 प्रति ात या रू. 2500/– प्रति इकाई अनुदान ।

पौध संरक्षण यंत्र – 1. हस्तचलित यंत्र पर 50 प्रति ात अधिकतम रू. 800 प्रति स्प्रेयर/डस्टर । 2. भाक्तिचलित यंत्र पर 50 प्रति ात अधिकतम रू. 2000 प्रति यंत्र । 3. टेक्टर मांउटेंड यंत्र की कीमत का 50 प्रति ात अधिकतम रू. 10,000 प्रति यंत्र ।

बायो एजेंट प्रि ाक्षण– निर्धारित कीमत पर 30 प्रति ात, अधिकतम रू. 900 प्रति हे.

अ–राज्य स्तरीय प्रसार कार्यकर्ता प्रि ाक्षण– 30 प्रसार कार्यकर्ताओं के दो दिवसीय प्रि ाक्षण के लिये रू. 15000

अधिकारी (मापवा) नामांकित किया गया है, योजना का कार्य महिला वरिश्ठ कृशि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृशि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के कृशकों हेतु प्रि□ाक्षण योजना

उद्दे□य– अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के कृशकों को प्रि ाक्षण के माध्यम से कृशक तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अपने कृशि उत्पादन को बढ़ाकर जीवन स्तर में सुधार करने के लिये।

भूमिहीन कृशक प्रि□ाक्षण – कृशकों के लिये पांच दिवसीय प्रि ाक्षण रू. 25000 प्रति प्रि ाक्षण जिसमें से रू. 5000 प्रति प्रि ाक्षण नगद मानदेय भुगतान, कृशकों को राज्य के अंदर रू. 48000, राज्य के बाहर रू. 70,000 का प्रावधान, कृशि में महिलाओं के योगदान को देखते हुये तीन दिवसीय प्रि ाक्षण रू. 15000 प्रति प्रि ाक्षण, नवीन तकनीकी से अवगत कराने – सेमीनार/वर्क ााप/कृशि मेला, समस्याओं पर चर्चा हेतु इंटरफेस आयोजन का प्रावधान है ।

नलकूप खनन (लघु सिंचाई)

उद्दे□य – अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के कृशकों के लिये

कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदे ा ।

अनुदान – सफल/असफल नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रति ात अधिकतम रू. 15000 जो भी कम हो, सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु अनु.जाति/अनु.ज.जाति के कृशकों के लिये लागत का 75 प्रति ात अधिकतम रू. 9000 जो भी कम हो अनुदान देय ।

मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम

उद्दे□य – मिट्टी में पाये जाने वाले प्रमुख एवं सूक्ष्म तत्व जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं कि जांच प्रयोग भाालाओं द्वारा की जाकर उपयुक्त अनु ांसायें कृशकों को प्रेशित की जाती है ।

कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदे ा ।

निर्धारित भाुल्क – सामान्य कृशकों के लिये रू. 5, अनु.ज./अनु.ज.जाति कृशकों के लिये रू. 3 प्रति नमूना । सूक्ष्म तत्व वि लेशण के लिये सामान्य कृशकों के लिये रू. 40, अनु.ज./अनु.ज.जाति कृशकों के लिये रू. 30 प्रति नमूना ।

कार्यरत प्रयोग□ाालायें कुल 70 – विभागीय मिट्टी परीक्षण केन्द्र–24– भोपाल, सिहोर, पवारखेडा– जिला हो ंगाबाद, उज्जैन, मंदसौर, धार, खरगौन, खण्डुआ, इंदौर, बालाघाट, छिंदबाड़ा, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, रीवा, मुरैना, भिण्ड, जबलपुर दमोह, टीकमगढ़,सीधी, ग्वालियर, बैतूल।

मध्यप्रदे□ा राज्य कृशि विपणन बोर्ड (26) के अंतर्गत– हो ंगाबाद, इंदौर, बुरहानपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, ि ावपुरी, दतिया, गुना, भयोपुर, अ ोकनगर, हरदा, रायसेन, विदि ाा एवं कुरवाई, राजगढ़, पन्ना, देवास, रतलाम, भााजापुर, नीमच, उमरिया, भाहडोल अनूपपुर, सतना

कृशि वि□वविद्यालय जबलपुर (19) के अंतर्गत– सिहोर कृ. महा., इंदौर कृ. महा., रीवा कृ.महा., जबलपुर कृ.महा., ग्वालियर कृ.महा., सागर कृ.अनु. केन्द्र, गुना कृ.वि.के. राजगढ कृ.वि.के. इसके अलावा भाासकीय महाविद्यालय बडवानी।

राश्ट्रीय कृशि बीमा योजना

कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदे ा

अधिसूचित फसलें – खरीफ, धान– सिंचित/असिंचित, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों, कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास, केला ।

रबी – गेहूॅं–सिंचित/असिंचित, चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज, आलू ।

बीमा हेतु पात्र – संस्थागत ऋण लेने वाले कृशकों के लिये अनिवार्य तथा अऋणी कृशकों के लिये स्वेच्छिक है ।

दावा आकलन की इकाई– वर्श खरीफ 2006 से चुनी गई प्रमुख 4 फसलें धान–सिंचित/असिंचित, सोयाबीन एवं तुअर, खरीफ वर्श 2007 से बाजरा, मक्का, फसल भाामिल हैं भोश फसलें–कोदों, कुटकी, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, केला के लिये निर्धारित इकाई तहसील को रखा गया है । वर्श रबी 2006–07 से चुनी गई चार प्रमुख फसलें गेहूं–सिंचित/असिंचित, चना, राई, सरसों । भोश फसलें– अलसी, प्याज, आलू के लिये तहसील इकाई ही यथावत् है ।

सम्पर्क– जिले के उप संचालक किसान कल्याण तथा कृशि विकास विभाग/ग्रामीण कृशि विस्तार अधिकारी

वि□ाश प□ु पालन कार्यक्रम – संकर वत्स संगोपन योजना

उद्दे□य– वर्श 1975–76 से संचालित इस येाजना में वर्श 2007–08 में सं ोधन कर संकर बछिया के साथ दे ी उन्नत नस्ल की बछिया को 4 से 32 माह की उम्र तक अर्थात गाय बनने तक 17 क्विंटल वत्स आहार हेतु अनुदान दिया जाता है

हितग्राही– सभी वर्गो के लघु कृ क/सीमांत कृशक/खेतिहर मजदूर इस येाजना का लाभ प्राप्त कर सकते है ।

इकाई लागत – रू. 8100/–

अनुदान– सामान्य वर्ग रू. 3000/– (अधिकतम)
अ.जा./अ.ज.जा. – रू. 5000/– (अधिकतम)

संपर्क – नजदीकी प ु चिकित्सा विभागीय संस्था ।

अनुदान पर नर सूकर प्रदाय योजना

उद्दे□यः यह योजना केवल अ.जा. के हितग्राहियों के लिये

इकाई लागत – रू. 2800/–

अनुदान – एक नर सूकर हितग्राही को 75 प्रति ात अनुदान भोश रा ा 25 प्रति ात हितग्राही को जमा करने पर योजना का काम प्राप्त किया जा सकता है ।

संपर्क – नजदीकी प ु चिकित्सा विभागीय संस्था ।

अनुदान पर सूकर त्रयी योजना

उद्दे□यः नस्ल सुधार के उद्दे य से संचालित योजना में अ.जा. के हितग्राहियों के लिये उन्नत नस्ल का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर 75 प्रति ात अनुदान पर प्रदाय किये जाते है ।

इकाई लागत – रू. 7500/–

अनुदान – इकाई लागत का 75 प्रति ात भोश हितग्राही अं ादान

संपर्क – नजदीकी प ु चिकित्सा विभागीय संस्था ।

बैंक ऋण एवं अनुदान पर दुधारू प□ु इकाई

हितग्राही– इस योजना में अ.जा./अ.ज.जा. के हितग्राही को 10,000/– सामान्य वर्ग के हितग्राही को 75000/– ।

इकाई लागत – 10 प्रतिभात मर्जिन मनी इकाई लागत का जमा करने पर योजना का काम प्राप्त हो सकता है ।

संपर्क – नजदीकी पभु चिकित्सा विभागीय संस्था ।

नंदी□ााला योजना

उद्दे□यः ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिभील पभुपालकों को अनुदान पर उन्नत नस्ल का सांड़ प्रदाय करना ।

हितग्राही – सभी वर्ग के पभुपालक जिनके पास कृशि भूमि

के साथ पांच गौवंभीय पभुधन/ भूमिहीन के पास 20से अधिक पभुधन हों ।

योजना इकाई – देभी वर्णित गौ सांड़ के प्रथम 60 दिनों के लिए पभु आहार ।

इकाई लागत – रुपये 14000

अनुदान – 80 प्रतिभात तक

कृत्रिम गर्भाधान प्रभिक्षण/स्वरोजगार

हितग्राही – सभी वर्ग

योजना इकाई – स्वरोजगार हेतु कृत्रिम गर्भाधान का प्रभिक्षण हेतु अनुदान

इकाई लागत – रुपये 22000

अनुदान – 4000 का मानदेय, 18000 के उपकरण

सम्पर्क – अपने जिले के उप संचालक पभुपालन विभाग से सम्पर्क करें । अनुदान के आधार पर बकरी एवं डेयरी इकाई

कुक्कुट विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाऐं

अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई

उद्दे□यः हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार

योजना – अनु.जाति/जनजाति

योजना इकाई – इस योजना में बिना लिग भेद के 15 दिवसीय 65 चूजे, खाद्यान औशधीय एवं परिवहन सहित प्रदान किये जाते है ।

इकाई लागत – रू. 1500.00

अनुदान – अनु.जाति/जनजाति वर्ग के लिए 80 प्रतिभात

हितग्राही अं□ादान – 20 प्रति ात

संपर्क– संबंधित जिले के निकटतम प ु चिकित्सा अधिकारी/प ु औशधालय प्रभारी

केन्द्रीय योजना

ग्रामीण बैंकयार्ड कृ.वि.योजना

उद्दे□यः भारत भाासन द्वारा संचालित इस योजना में गरीबी की सीमा रेखा में जीवन यापन करने वाले सभी वर्गो के लिये ।

अनुदानः हितग्राहियों को भात् प्रति ात अनुदान पर बिना लिग भेद के 4 सप्ताह के 45 पक्षी तीन चरण में प्रदाय किये जाते हैं साथ ही प्रदाय किये गये पक्षियों के लिये दडवा बनाने हेतु रू. 750 भी देने का प्रावधान है ।

प्रत्येक मदर यूनिट 300 हितग्राही को चूजे प्रदाय करेगा । मदर यूनिट के हितग्राही रू. 20000 अनुदान एवं रू. 36000 ब्याज मुक्त

कृशि यंत्र/ म□ीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
		बाल/ केरियर /ट्रॉपीकल्चर (कम से कम 4 अटैचमेन्ट सहित) ब. प्री–जर्मिनेटेड पैडी सीडर
प ुभाक्ति चलित यंत्र	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 2500	–
हस्त चलित यंत्र /टूल्स	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 2000	–
कोनो वीडर	कीमत का 50% अधिकतम रुपये 3000	प्रति कृशक
डीजल/विद्युत	कीमत का 50% अधिकतम रुपये 10000	डीजल/विद्युत पम्पसैट–7.5 पम्पसैट बीएचपी/5 कि.वाट तक के
पौध संरक्षण यंत्र		
(अ) हस्त चलित	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 800	–
(ब) भाक्ति चलित	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 2000	–
(स) ट्रैक्टर माउन्टेड	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 4000	–

कृशि यंत्र/ म□ीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
(द) एरो ब्लास्ट स्प्रेयर	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 25000	–
कम्बाईन हार्वेस्टर	कीमत का 25% अधिकतम रुपये 1.50 लाख (इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकां ा कम्बाईन हार्वेस्टर (कटर बार 12 –14 फीट सहित) जो कृशकों द्वारा उपयोग की जा रही है उसकी कीमत रुपये 7–9 लाख प्रति यूनिट है)	कम्बाईन हार्वेस्टर हेतु वित्तीय सहायता केवल निम्न हेतु है– कृशकों का समूह, पंजीकृत सहकारी संस्थायें, एग्रीकल्वर केडिट सोसायटीज, मल्टी परपज एग्रीकल्वर फार्मिंग सोसायटीज, स्व–सहायता समूह, वही समूह सहायता के पात्र होंगे जो किसी NGO के भाग नहीं हैं, कृशि एवं सहकारिता विभाग द्वारा इन्स्टीटयू ानल फाइनेन्स अंतर्गत नामांकित कम्बाईन हार्वेस्टर ही इस योजना हेतु पात्र होंगे।

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिभान

उद्दे□य: योजना का उद्देभय सतत् आधार पर तकनीकों का विस्तार कर धान, गेहूँ और दलहन फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनि चत हो सके। साथ ही भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता का संरक्षण, रोजगार अवसरों का सृजन तथा कृशकों का आर्थिक उन्नयन करना है।

कार्य क्षेत्र

1. धान हेतु (9 जिले) – दमोह, पन्ना, रीवा, सतना, भाहडोल, अनुपपुर, डिण्डोरी, कटनी एवं मण्डला ।

2. गेहूँ (30जिले) – रायसेन, विदि ा, राजगढ़, बैतूल, हरदा, सिहोर, इन्दौर, खण्डवा, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास, गुना, ि ावपुरी, भिण्ड, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, भाहडोल, सीधी, डिण्डोरी, कटनी, मंडला, जबलपुर, सिवनी एवं बालाघाट।

3. दलहन हेतु– (20 जिले)– रायसेन, विदि ा, राजगढ़, झाबुआ, उज्जैन, देवास, भााजापुर, गुना, ि ावपुरी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर ।

हितग्राही – सभी वर्ग के कृशक ।

राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मि□ान अन्तर्गत देय अनुदान

फसल	यंत्र	अनुदान
धान	कोनो बीडर	कीमत का 50% अधिकतम रू.3000 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
धान	पावर वीडर	कीमत का 50% अधिकतम रू.15,000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।
धान गेहू दलहन	रोटावेटर	कीमत का 50% अधिकतम रू. 30,000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो ।
धान गेहू,दलहन	जीरो टिलेज मल्टीक्रॉप प्लान्टर	कीमत का 50% अधिकतम रू. 15,000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।
धान गेहू,दलहन	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल डीजल/ इलेक्ट्रिक पंप (10 हा.पा. तक)	कीमत का 50% अधिकतम रू. 10,000 प्रति यंत्र/सेट जो भी कम हो ।
धान गेहू,दलहन	नेपसेक स्प्रेयर	कीमत का 50% अधिकतम रू. 3,000 प्रति यंत्र जो भी कम हो ।
दलहन, गेहू ,	स्प्रिंकलर सेट	कीमत का 50% अधिकतम रू. 7,5,00 प्रति हे. जो भी कम हो ।

अनुदान— कर्म   ाला की स्थापना के लिए म   ीनों की लागत का 50 प्रति   ात अधिकतम रा‍ि ा रू. 1.00 लाख ।

हितग्राही — आई.टी.आई. प्रि ाक्षित 35 वर्श आयु तक के सभी वर्ग के ग्रामीण युवक ।

प्रक्रिया —

1. आवेदन जिले के सहायक कृशि यंत्री को प्रस्तुत किया जाता है जिसका परीक्षण जिला मैकेनाइजे   ान कमेटी के द्वारा किया जाता है पात्र आवेदनों को लीड बैंक अधिकारी विभिन्न राश्ट्रीय बैंक को आवंटित लक्ष्य अनुसार अग्रेशित करता है ।

2. बैकों द्वारा उपयुक्त पाये गये आवेदकों को विभाग द्वारा कृशि यंत्रों के निर्माण एवं विभिन्न कृशि म   ीनरी की मरम्मत रख रखाव का प्रि ाक्षण दिलाया जाता है ।

3. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सहायक कृशि यंत्री द्वारा आवेदक को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

4. कर्म भाला हेतु बैल्डिंग म   ीन, भीट कटिंग म   ीन, बाईंडर, ड्रिल म   ीन, स्प्रेगन, वर्किंग बैच आदि म   ीनें स्थापित करनी होती है।

5. आवेदक द्वारा क्रय औजार की रा‍ि ा म   ीनों की स्थापना विद्युत फिटिंग का व्यय लागत में भामिल है ।

यंत्रदूत ग्राम योजना

उद्दे यः

1. लघु एवं सीमांत कृशको में कृशि यंत्रीकरण को अपनानें के लिये प्रोत्साहित करना ।

2. कृशि में उत्पादन लागत को कम करना ।

3. यंत्रदूत ग्रामों में कृशि यंत्रीकरण से संबंधित सभी नवाचरों का प्रद   ान ।

4. उत्पादकता एवं उत्पादन को बढाना ।

5. यंत्रदूत ग्रामों को क्षेत्र वि   ोश में यंत्रीकरण के लिये आर्द   ा ग्राम के रूप में स्थापित करना ।

कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण म.प्र.।

कृशि विभाग की योजनायें

राश्ट्रीय कृशि विकास योजना

उद्दे य— भूमि की उर्वरता बढाना, उन्नत बीज उपलब्ध कराना, सिंचाई संसाधनों का विकास कर जल स्तर में वृद्धि, सिचाई क्षेत्रों का विकास करना ।

अनुदान— नलकूप खनन (1) सामान्य वर्ग के लघु सीमांत

कृशकों को नलकूप खनन कराने पर 75 प्रति   ात अधिकतम 15,000 रू. का अनुदान, सामान्य श्रेणी के बडे कृशकों को 50 प्रति   ात अधिकतम 15,000/— । (2) सफल नलकूप पंप स्थापना हेतु लघु सीमांत कृशक को 75 प्रति   ात अधिकतम 9,000/— रू. सामान्य श्रेणी के बड़े कृशक 50 प्रति   ात अधिकतम 9,000/— रू. (3) डीजल विद्युत पंप पर 50 प्रति   ात अधिकतम 10,000/— रू. का अनुदान ।

2— **पौध संरक्षण** (1) प्रका   ा प्रपंच पर 50 प्रति   ात अधिकतम 1500/— रू. प्रति हे. (2) फैरोमेन ट्रेप लागत का 50 प्रति   ात अधिकतम 300/— रू. प्रति हे. अनुदान । सभी श्रेणी के कृशक पात्र है ।

3— **यंत्रीकरण** — (1) भाक्ति चलित उपकरण/यंत्र— सभी प्रकार के यंत्रो पर 50 प्रति   ात अधिकतम 15,000/— रू । (2) बैल चलित उपकरण 50 प्रति   ात अधिकतम 2500/— रू. (3) हस्त चलित उपकरण 50 प्रति   ात अधिकतम 500/— रू का अनुदान ।

तिलहन दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपाम)

उद्दे य— केन्द्र पोशित योजना प्रदे   ा में तिलहन, दलहन एवं मक्के की उत्पादकता को बढाना ।

हितग्राही— सभी श्रेणी कृशक ।

कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण म.प्र. ।

अनुदान —

1. **पौध संरक्षण यंत्र** (1) हस्त चलित यंत्र पर कीमत का 50 प्रति   ात अधिकतम रू. 800/— प्रति यंत्र । (2) भाक्ति चलित यंत्र पर 50 प्रति   ात अधिकतम रू. 2000/— प्रति यंत्र जो भी कम हो ।

2. **उन्नत कृशि यंत्र** (1) हस्त चलित/बैल चलित यंत्र 50 प्रति   ात अधिकतम रू. 2500/— प्रति यंत्र । (2) भाक्ति चलित यंत्र पर 50 प्रति   ात अधिकतम रू. 15000/— प्रति यंत्र जो भी कम हो ।

3. **सिचांई उपकरण** (1) स्प्रिकंलर सेट 50 प्रति   ात अधिकतम रू. 7500/— प्रति सेट जो भी कम हो ।(2) पाइप लाइन पर 50 प्रति   ात अधिकतम रू. 15000/— प्रति सेट (3) रेनगन 50 प्रति   ात अधिकतम रू. 6000/— प्रति सेट ।

अनुदान – रुपये 1250/– व्यय सीमांकित

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

योजना – 6. मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा
हितग्राही– सभी वर्ग हेतु
प्रयोजन– 18 से 70 वर्श की आयु के सक्रिय मछुओं का निः ुल्क बीमा
अनुदान – रुपये 29/– मात्र वार्शिक प्रीमियम का विभाग एवं केन्द्र भाासन द्वारा वहन

योजना – 7. बचत–सह–राहत
हितग्राही – सभी वर्ग हेतु
प्रयोजन– बन्द ऋतु की अवधि में आर्थिक सहायता
अनुदान – प्रदे ा की मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा 8 माह तक उनके हिस्से की निर्धारित रा ि रुपये 50 सतत् रूप से पोस्ट आफिस या बैंक में जमा करने पर रुपये 1200 भुगतान किया जाता है ।

योजना – 8. मछुआ आवास गृहों का निर्माण
हितग्राही – सभी वर्ग हेतु
प्रयोजन– निः ुल्क आवास उपलब्ध कराना
अनुदान – योजनांतर्गत सक्रिय मछुआ सहकारी समितियों के

सदस्यों को निः ुल्क आवास गृहों को उपलब्ध कराना प्रति आवास निर्माण लागत रुपये 0.50 लाख (50 प्रति ात केन्द्र तथा 50 प्रति ात राज्य का हिस्सा)

योजना – 9. मत्स्य कृशक विकास अभिकरण
हितग्राही – सभी वर्ग हेतु
प्रयोजन – स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण की योजना
अनुदान – रुपये 3.00 लाख प्रति हैक्टर लागत का सामान्य–20 प्रति ात (अधिकतम सीमा रुपये 60000 प्रति हैक्टर अनु. जाति/जनजाति– 25 प्रति ात (अधिकतम सीमा रुपये 75000) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)
प्रयोजन– तालाबों का पुर्नद्वार/सुधार
अनुदान – रुपये 75000 प्रति हैक्टर लागत का सामान्य–20 प्रति ात (अधिकतम सीमा रुपये 15000 प्रति हैक्टर अनु. जाति/जनजाति– 25 प्रति ात (अधिकतम सीमा रुपये 18750) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)
प्रयोजन – प्रथम वर्श इनपुट्स मत्स्य बीज, आहार, खाद उर्वरक एवं मत्स्य रोगों के उपचार हेतु औशधि (मत्स्य कृशकों को केवल एक बार देय अनुदान)

अनुदान – रुपये 50000 प्रति हैक्टर लागत का सामान्य–20 प्रति ात (अधिकतम सीमा रुपये 10000) प्रति हैक्टर अनु. जाति/जनजाति– 25 प्रति ात (अधिकतम सीमा रुपये 12500) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)
प्रयोजन – फ्रै ा वाटर फि ा सीड हैचरी
अनुदान – मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन फ्राई क्षमता वाले एक मत्स्य बीज हैचरी के लिए रुपये 12.00 लाख लागत का – सभी श्रेणी के हितग्राहियों को 10 प्रति ात (अधिकतम सीमा रुपये 1.20 लाख) अनुदान देने का प्रावधान है ।
प्रयोजन – फि ा फीड यूनिट
अनुदान – छोटी इकाईयां– यूनिट कास्ट रुपये 7.5 लाख जिसकी क्षमता 1.2 क्विं/प्रति दिन हों अनुदान / 20 प्रति ात के साथ अधिकतम सीमा रुपये 1.5 लाख प्रति यूनिट उद्यमियों के लिए ।
सम्पर्क – मत्स्योद्योग विभाग

कृशकों के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

राज्य योजनाऐं

1. फल विकास कार्यक्रम
उद्दे य – इस योजना के तहत कृशक को अधिकतम 2.000 हैक्टर तथा न्यूनतम 0.25 हैक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है ।
अनुदान – योजना के तहत नाबार्ड द्वारा प्रति हैक्टर निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रति ात अनुदान दिया जाता है । बैंक ऋण पर आम, संतरा, नीबू, केला, पपीता, अंगूर को सम्मिलित किया गया है तथा जो कृशक ऋण लेना नहीं चाहते उन्हें विभागीय योजना के तहत आम, आंवला, संतरा, नींबू का बगीचा लगाने पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित लागत पर प्रति हैक्टर 25 प्रति ात अनुदान देय है । जिसमें निर्धारित लागत की सीमा निम्नानुसार है :–

• किस जिले के लिए कौन–कौन सी सब्जी फसलों को बढ़ावा दिया जावेगा, यह निर्णय जिला स्तर की अनु ंसा पर राज्य स्तरीय कमेटी करेगी ।

अनुदान –

• सामान्य, अ.जाति, अ.ज.जाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत / संकर सब्जी उत्पादन पर आदान सामग्री का 50 प्रति ात अधिकतम 12500 / – रुपये प्रति हैक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा ।

• कंद वाली व्यवसायिक फसल – आलू, अरबी फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25000 / – रुपये अनुदान देय होगा

6. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना –

उद्दे□य – यह योजना वर्श 2011–12 में जिला पंचायतों के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में क्रियान्वित की जा रही है ।

• कृशक को अधिकतम 2 हैक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है जिसकी न्यूनतम सीमा 0.10 हैक्टर है । अधिकतम दो हैक्टर की सीमा तक कृशक को खरीफ, रबी एवं जायद में अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा ।

• किस जिले के लिए कौन–कौन सी मसाला फसलों को बढ़ावा दिया जावेगा, यह निर्णय संचालनालय स्तर पर गठित कमेटी करेगी ।

अनुदान –

• सामान्य, अ.जाति, अ.ज.जाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत / संकर मसाला उत्पादन पर आदान सामग्री का 50 प्रति ात अधिकतम 12500 / – रुपये प्रति हैक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा ।

• कंद वाली व्यवसायिक फसल – हल्दी, अदरक, लहसुन फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25000 / – रुपये अनुदान देय होगा ।

7. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

अनुदान – राश्ट्रीय उद्यानिकी मि ान द्वारा 50 प्रति ात या अधिकतम रुपये 1.50 लाख तक का अनुदान देय होगा ।

राश्ट्रीय उद्यानिकी मि□ान योजनाऐं

उद्दे□य –

• प्रदे ा / क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसके विविध कृशि मौसम वि ोशताओं के साथ सामंजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से बागवानी क्षेत्र की सर्वांगीण वृद्धि ।

• बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोशण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय सृजन में सहायता करना ।

• कु ाल और अकु ाल व्यक्तियों, वि ोश रूप से बेरोजगार युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के अवसरों का निर्माण करना ।

• उत्पाद की कटाई या तुडाई के बाद उचित प्रबंधन को सुनि चत करना ।

1. सब्जी बीज उत्पादन

1. भासकीय क्षेत्र – प्रति हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी बीज उत्पादन लागत 50,000 / – रूपये

2. निजी क्षेत्र – प्रति हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी बीज उत्पादन 50 प्रति ात सहायता अनुदान अधिकतम 25000 / – रूपये प चातवर्तीय देय होगा ।

2. नये फलोद्यानों की स्थापना

अनुदान – कृशकों के प्रक्षेत्रों में आम, कल्मी पौधे प्रति पर 9900 / – रुपये द्वितीय एवं तृतीय वर्श में 90 प्रति ात बगीचे जीवित होने पर 3300 / – रुपये अनुदान के रूप में देय होगा।

3. पुश्प विकास योजना

अनुदान – इस घटक में कटफ्लावर, बल्वफ्लावर, लूज फ्लावर है । जोकि लघु एवं सीमांत कृशकों को क्रम ाः 0.25 है. के लिए कट फ्लावर में सहायता अनुदान रा ा 8750 रुपये तथा बल्वफ्लावर में 11250 रुपये एवं लूज फ्लावर में 3000 रुपये की प्रावधानिक है ।

4. मसाला विकास योजना

अनुदान – कृशकों को एक समान अनुदान सहायता अधिकतम 4 हे. की सीमा तक 12500 रुपये प्रति हे. सहायता प्रदान की जाती है । योजना तहत संकर मिर्च एवं धनिया कार्यक्रम के तहत है ।

5. पैक हाउस निर्माण

अनुदान – कृशक के प्रक्षेत्र में उद्यानिकी फसल के उत्पादन की संग्रहण हेतु 9 X 6 मीटर क्षेत्र में 3 लाख रुपये की लागत से पैक हाउस निर्माण पर 50 प्रति ात अधिकतम 1.50 लाख रुपये प चातवर्ती अनुदान देय होगा ।

75 प्रति ात आदान 30000 एवं भोश रा ा 25 प्रति ात रुपये 10000 को कृशक अं ा के रूप मे कृशक वहन करेगा ।

3. प्लास्टिक क्रेट वितरण योजना – 50 प्रति ात या 125 रुपये प्रति क्रेट्स की दर से प्रति हितग्राही 50 क्रेट प्रदाय किये जाते हैं ।

4. म.प्र. राज्य कृशि विपणन बोर्ड, भोपाल मुख्यमंत्री कृशक जीवन कल्याण योजना–2008

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोशणा के क्रियान्वयन के लिये म.प्र. राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदे ा के कृशकों तथा कृशि आधारित रोजगार प्राप्त कृत्यकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्दे य से मुख्यमंत्री कृशक जीवन कल्याण योजना लागू की गई है ।

मुख्यमंत्री कृशक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत दिवंगत के वैध वारिस की दुर्घटना में मृत्यु होने के रू. 50,000/– हितग्राही को दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर रू. 25,000/– दुर्घटना में आं ाक अपंगता रू. 7,500/– अंत्येश्ठी हेतु रू. 2,000/– अनुदान प्रदान की जाती है ।

योजना का लाभ प्राप्त करने हितग्राही को घटना घटित होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर जिला कलेक्टर/स्थानीय

प्र ासन को आवेदन प्रस्तुत करना होता है । कलेक्टर द्वारा स्वीकृति आदे ा उपरांत म.प्र. राज्य कृशि विपरण बोर्ड द्वारा संबंधित हितग्राही को कलेक्टर के माध्यम से रा ा वितरित कराई जाती है ।

उपरोक्त मुख्यमंत्री कृशक कल्याण योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में दुर्घटना होने पर प्रदान की जाती है :–

1– कृशि कार्य में कृशि यंत्रो का उपयोग करते हुये ।
2– कृशि कार्य करते हुये बिजली करंट लगने से ।
3– रासायनिक दवाईयों के छिड़काव करते समय ।
4– ट्रेक्टर ट्राली, बैलगाड़ी आदि के पलटने पर ।
5– कृशि सुरक्षा, प ु चराई, पेड़ो की छटाई, कृशि की रखवाली करते समय हुई दुर्घटना ।
6– कृशि उपज के विक्रय के लिये, घर से खेत में आते –जाते समय हुई दुर्घटना ।
7– सिंचाई कार्य हेतु कुँआ खोदते समय ।

सम्पर्क– उद्यानिकी विभाग

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द (ऐटिक) "एकल खिडकी पद्धति" कृषकों के लिये सेवायें

कृशि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र – कृशकों को तकनीकी जानकारी, उत्पादों की उपलब्धता एवं जानकारी, उपयोग विधि आदि सेवायें प्रदान करता है :–

- जवाहर उत्पाद–बीज, कल्चर, रोपण हेतु–पौध सामग्री, सब्जियों के बीज, औशधीय व सगंध पौध, कृशि अभियांत्रिकी उपकरण, मुर्गीपालन, प ु पालन उत्पाद आदि विक्रय ।
- पौध एवं प ु चिकित्सा सेवायें ।
- मृदा एवं जल परीक्षण सेवायें ।
- नवीन जीव ना ाकों का परीक्षण ।
- मौसम का पूर्वानुमान एवं कृशि पराम ि सेवायें ।
- इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा तकनीकों का प्रचार प्रसार ।
- कृशि दूरभाश सहायता केन्द्र ।

:: सम्पर्क ::
कृशि प्रोद्यौगिकी सूचना केन्द्र
जवाहरलाल नेहरू कृशि वि□वविद्यालय, जबलपुर
निः□ुल्क फोन नं. 18001801551
फोनः 0761–2681257, 2681000
ई–मेल : aticjnu@rediffmail.com

संचार केन्द्र
किसानों के लिए कृषि साहित्य का प्रकाशन

- "**कृशि वि□व**" त्रैमासिक पत्रिका, रबी वि ोशांक, खरीफ वि ोशांक ।
- **वि□ोशांक**– दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, प ुपालन, मुर्गी पालन, फल–फूल, साग भाजी, पौध संरक्षण, रबी एवं खरीफ फसलें आदि ।
- **विभिन्न पत्र पत्रिकायें**–सामयिक विशयों पर वैज्ञानिकों के लेख।
- "**कृशि वि□वविद्यालय से खेतों तक**" साप्ताहिक आका ावाणी रेडियो वार्ता कार्यक्रम किसानों के लिये–कृशि संबंधी विभिन्न विशयों पर भेंटवार्ता ।

:: सम्पर्क ::
संचार केन्द्र
जवाहरलाल नेहरू कृशि वि□वविद्यालय, जबलपुर
एक्सचेंज फोन नं.– 0761–2681773
पी.बी.एक्स नं. – 303

मध्यप्रदेथ में कृषक लाभार्थ योजनाऐं

आधुनिक खेती अपनायें
खेती को लाभ का धंधा बनायें

जोनल परियोजना निदे ालय, जोन 7
भारतीय कृशि अनुसंधान परिशद
जबलपुर (म.प्र.)

संकलन

डॉ. र□िम चौबे, वैज्ञानिक
डॉ. अनय रावत, वैज्ञानिक
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृशि वि ववविद्यालय, जबलपुर

संपादकीय सलाह

डॉ. एस.आर.के. सिंह, वरिश्ठ वैज्ञानिक
डॉ. तुशार अठारे, वैज्ञानिक
क्षेत्रीय परियोजना निदे ालय, जोन 7
भारतीय कृशि अनुसंधान परिशद, जबलपुर (म.प्र.)

मुद्रण समन्वयन

डॉ. अर्चना पाण्डे, वरिश्ठ वैज्ञानिक
कृशि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र
जवाहरलाल नेहरू कृशि वि ववविद्यालय, जबलपुर

दृश्टांत :

मध्यप्रदे । में कृशक लाभार्थ योजनाएं, 2013
जोनल परियोजना निदे ालय, जोन 7 जबलपुर

मार्गद□ीन

डॉ. के.डी. कोकाटे
उप महानिदे ाक (कृशि विस्तार)
भारतीय कृशि अनुसंधान परिशद, नई दिल्ली

प्रेरणा स्त्रोत

डॉ. अनुपम मिश्रा
क्षेत्रीय परियोजना निदे ाक
क्षेत्रीय परियोजना निदे ालय
जोन 7, भारतीय कृशि अनुसंधान परिशद, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. के.के. सक्सेना
संचालक विस्तार सेवायें
संचालनालय विस्तार सेवायें
जवाहरलाल नेहरू कृशि वि ववविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

आभार

समस्त कृशि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक एवं
अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

प्रका□ान वर्श – 2013

प्रका□ाक

क्षेत्रीय परियोजना निदे ाक
क्षेत्रीय परियोजना निदे ालय
जोन 7, भारतीय कृशि अनुसंधान परिशद, जबलपुर (म.प्र.)

E-mail: zcunit@rediffmail.com
zpd7jabalpur@gmail.com
Phone: 0761-2680158, 2680807
Fax: 0761-2680485
Website: http//www.zpd7icar.ogr.in